"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 जनवरी 2026 — पौष 24, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 जनवरी 2026

अधिसूचना

File No. GENCOR-35/285/2026-GAD-5.— मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी एक्ट, 1938 (क्रमांक–5 सन् 1938) की धारा 09 की उप धारा (01) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा कमांडेंट केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (उतई) आर.टी.सी. भिलाई जिला दुर्ग के लिए उल्लिखित किए गए निम्नांकित क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है, जिसके भीतर दिनांक 01 जनवरी, 2026 से प्रारंभ होने तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2030 को समाप्त होने वाले पांच वर्षो की कालावधि के लिए नियतकालिक रूप से मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास का किया जाना प्राधिकृत किया जा सकेगा।

2. भू–रेखांक का निरीक्षण कलेक्टर, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकेगा।

क्षेत्र का ब्यौरा

कमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम पटवारी हल्का नंबर एवं रा.नि.मं.	राजस्व भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	वनभूमि (हेक्टेयर)
1.	दुर्ग (छत्तीसगढ़)	डूमरडीह पटवारी हल्का नंबर–30 रा.नि.मं. अण्डा	खसरा नंबर–03 रकबा 59.74 हेक्टेयर	————

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशिका ऋषि पाण्डेय, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.